

MS-304/HR-2304**Labour Laws for Managers**

(प्रबन्धकों के लिए श्रम सन्निधयम)

Master of Business Administration/P. G. Diploma
in Human Resource Management
(MBA-10/12/13/16/17/PGDHRM-
10/16/17/MBAH-11)

Fourth/Second Semester, Examination, 2017

Time : 3 Hours

Max. Marks : 80

Note : This paper is of **eighty (80)** marks containing **three (03)** Sections A, B and C. Learners are required to attempt the questions contained in these Sections according to the detailed instructions given therein.

नोट : यह प्रश्न पत्र अस्सी (80) अंकों का है जो तीन (03) खण्डों 'क', 'ख' तथा 'ग' में विभाजित है। शिक्षार्थियों को इन खण्डों में दिए गए विस्तृत निर्देशों के अनुसार ही प्रश्नों के उत्तर देने हैं।

Section-A / खण्ड-क

(Long Answer Type Questions) / (दीर्घ उत्तरीय प्रश्न)

Note : Section 'A' contains four (04) long answer type questions of nineteen (19) marks each. Learners are required to answer *two* (02) questions only.

नोट : खण्ड 'क' में चार (04) दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिये गये हैं।
प्रत्येक प्रश्न के लिए उन्नीस (19) अंक निर्धारित हैं।
शिक्षार्थियों को इनमें से केवल दो (02) प्रश्नों के उत्तर देने हैं।

1. What are the difficulties in the healthy growth of industrial relations through labour law policy ?
श्रम कानून नीति के माध्यम से औद्योगिक संबंधों के स्वस्थ विकास में क्या मुश्किलें हैं ?
2. Discuss the issue of recognition of Trade Unions.
ट्रेड यूनियनों की मान्यता के मुद्दे पर चर्चा कीजिए।
3. What are the elements of collective bargaining ?
Explain the collective bargaining process.
सामूहिक सौदेबाजी के तत्व क्या हैं ? सामूहिक सौदेबाजी की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए।
4. Describe the certification process, operation and binding effect of the standing orders.
स्थायी आदेशों के प्रमाणीकरण प्रक्रिया, संचालन और बाध्यकारी प्रभाव का वर्णन कीजिए।

Section-B / खण्ड-ख

(Short Answer Type Questions) / (लघु उत्तरीय प्रश्न)

Note : Section 'B' contains eight (08) short answer type questions of eight (08) marks each. Learners are required to answer *four* (04) questions only.

नोट : खण्ड 'ख' में आठ (08) लघु उत्तरीय प्रश्न दिये गये हैं।
प्रत्येक प्रश्न के लिए आठ (08) अंक निर्धारित हैं।
शिक्षार्थियों को इनमें से केवल चार (04) प्रश्नों के उत्तर देने हैं।

1. What are the causes of poor industrial relations ?
अपर्याप्त औद्योगिक सम्बन्धों के क्या कारण हैं ?
2. Discuss the basic functions of Trade Unions.
श्रमिक संघों के मुख्य कार्यों का वर्णन कीजिए।
3. What are the conditions for the success of collective bargaining ?
सामूहिक सौदेबाजी की सफलता के लिए क्या परिस्थितियाँ होती हैं ?
4. Explain unfair labour practice.
अनुचित श्रम प्रथाओं की व्याख्या कीजिए।
5. Discuss the role of labour court for settlement of industrial disputes.
औद्योगिक विवादों के निपटारे के लिए श्रम अदालत की भूमिका पर चर्चा कीजिए।
6. Explain the concepts of lay off and retrenchment.
छूटनी (ले-ऑफ) तथा घटाव (रिट्रेंचमेन्ट) की अवधारणाओं को समझाइए।
7. Discuss the nature of standing orders.
स्थायी आदेशों की प्रकृति का वर्णन कीजिए।

8. What are the objectives of workers participation in management ?

प्रबन्धन में श्रमिक भागीदारी के क्या उद्देश्य हैं ?

Section-C / खण्ड-ग

(Objective Type Questions) / (वस्तुनिष्ठ प्रश्न)

Note : Section 'C' contains ten (10) objective type questions of one (01) mark each. All the questions of this Section are compulsory.

नोट : खण्ड 'ग' में दस (10) वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिये गये हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए एक (01) अंक निर्धारित है। इस खण्ड के सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।

Indicate whether the following statements are True *or* False.

इंगित कीजिए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य।

1. Industrial relations cover the collective bargaining, labour legislation and industrial relations training.
औद्योगिक सम्बन्धों में सामूहिक सौदेबाजी, श्रम अधिनियम और औद्योगिक सम्बन्ध प्रशिक्षण आते हैं।
2. Marxist is an approach to industrial relations.
मार्क्सिस्ट औद्योगिक संबंधों के लिए एक दृष्टिकोण है।
3. Section 8 of the Trade Union Act deals with the registration of the Trade Unions.
श्रमिक संघ अधिनियम की धारा 8 श्रमिक संघों (ट्रेड यूनियनों) के पंजीकरण से सम्बन्धित है।

4. The Industrial Disputes Act came into operation in the year 1953.

औद्योगिक विवाद अधिनियम का कार्य 1953 में शुरू हुआ।

5. The Industrial Disputes Act can be described as the milestone in the historical development of industrial law in India.

औद्योगिक विवाद अधिनियम भारतीय औद्योगिक कानून के ऐतिहासिक विकास में मील का पत्थर के रूप में वर्णित किया जा सकता है।

6. 'First come last go and last come first go' is the principle of dismissal.

‘पहले आओ आखिर में जाओ और अन्तिम आओ पहले जाओ’ का सिद्धान्त बर्खास्तगी का सिद्धान्त है।

7. The text of the standing orders posted on the notice boards need to be only in English.

स्थायी आदेशों का विषय केवल अंग्रेजी भाषा में ही नोटिस बोर्ड पर प्रकाशित होना चाहिए।

8. Five copies have to be submitted to the certifying officer while making any modifications in the standing orders.

स्थायी आदेशों में संशोधन करते समय पाँच प्रतियों में प्रमाणित अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा।

9. Suggestion box scheme is not usually an example of indirect participation by the employees in participative management.

सुझाव बॉक्स योजना आमतौर पर प्रतिभागी प्रबन्ध में कर्मचारियों द्वारा अप्रत्यक्ष भागीदारी का एक उदाहरण नहीं है।

10. A joint management council member is not an example of direct participation by the employees in participative management.

एक संयुक्त प्रबन्धन परिषद् का सदस्य भागीदारी प्रबन्धन में कर्मचारियों द्वारा प्रत्यक्ष भागीदारी का उदाहरण नहीं है।